समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 138/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा थाना अध्यक्ष, आलमनगर के प्रतिवेदन पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी **श्री महन्थ कृष्णानन्द गिरि, पिता- स्व0 सुन्दर गिरि, सा0+थाना- आलमनगर, जिला- मधेपुरा** के लाईसेंसी रायफल अनुज्ञप्ति सं0-03/88(आलमनगर थाना) को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा नहीं समर्पित किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 236/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-03/88(आलमनगर थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक समर्पित नहीं किया गया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी की गयी थी। अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं थानाध्यक्ष, आलमनगर के प्रतिवेदनानुसार अनुज्ञप्तिधारी ने अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। थानाध्यक्ष, आलमनगर के ज्ञापांक 142/09, दिनांक 15-04-09 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इनके रायफल की चोरी हो गयी है। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और नहीं शस्त्र चोरी होने के बाद शस्त्र क्रय हेतु विधिवत कोई प्रयास ही किया गया है। पर्याप्त अवसर दिए जाने के वावजूद शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना एवं चोरी हुए शस्त्र के संदर्भ में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जाना यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की शर्त्त का उल्लंघन एवं अनुज्ञप्तिधारी के मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचार करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए **श्री महन्थ कृष्णानन्द गिरि, पिता- स्व0 सुन्दर गिरि, सा0+थाना- आलमनगर, जिला- मधेपुरा** के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-03/88 (आलमनगर थाना) को **''रद्द''** किया जाता है। उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित रायफल सं0-5363 चोरी हो जाने की सूचना प्रतिवेदित है एवं वर्त्तमान में अनुज्ञप्ति शस्त्र विहीन है। इस लिए अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वे धारा-21 के अन्तर्गत मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करें। अनुज्ञप्तिधारी उक्त आदेश का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में ''रद्द'' प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 227 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 22-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री महन्थ कृष्णानन्द गिरि, पिता- स्व0 सुन्दर गिरि, सा0+थाना- आलमनगर, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/04/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।